मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

क्रमांक एफ 6–6/2012/सात–3 भोपाल,दिनांक 24/07/2015

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश।

विषय – राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड छः क्रमांक 4 में संशोधन।

राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक 4 के परिशिष्ट–1 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं –

(1) पद (एक) फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता के मानदण्ड की अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :–

1. अनुसूची के कॉलम 3 में "25 से 50 प्रतिशत" **के स्थान पर "25 से 33 प्रतिशत"** एवं कॉलम 4 में "50 प्रतिशत से अधिक" **के स्थान पर "33 प्रतिशत से अधिक"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. अनुसूची के कॉलम क. 4 के कमांक 3 में "रूपये 14,000/– (रु.चौदह हजार)" **के स्थान पर "रूपये 18,000/–(रूपये अठठारह हजार)" प्रति हे0 प्रतिस्थापित किया जाता है।**

3. अनुसूची के अनुकमांक 2 के लिए अनुसूची के कॉलम क. 4 के कमांक 1 में वर्षा आधारित फसल के लिए "रूपये 6,000/– (रु.छः हजार)" प्रति हे0 के **स्थान पर "रूपये 6,800/–(रूपये छः हजार आठ सौ)" प्रति हे0 प्रतिस्थापित किया जाता है।**

4. अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के लिए अनुसूची के कॉलम क्र. 4 के क्रमांक 2 में सिंचित फसल के लिए "रूपये 11000/- (रु.ग्यारह हजार)" **के स्थान पर "रूपये 13,500/-(रूपये तेहर हजार पॉच सौ)" प्रति हे0 प्रतिस्थापित किया जाता है।**

5. अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के लिए अनुसूची के कॉलम क्र. 4 के क्रमांक 3 में "रूपये 14,000/-(रु.चौदह हजार)" **के स्थान पर "रूपये 18,000/-(रूपये अठारह हजार)" प्रति हे0 प्रतिस्थापित किया जाता है।**

6. अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के लिए अनुसूची के कॉलम क्र. 4 के क्रमांक 4 में "रूपये 15,000/-(रु.पन्द्रह हजार)" **के स्थान पर "रूपये 18,000/-(रूपये अठठारह हजार)" प्रति हे0 प्रतिस्थापित किया जाता है।**

7. पद (एक) (ख) में अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कॉलम 2 में उल्लेखित फसलों के लिए कॉलम 4 में "रूपये 10,500/-(रू. दस हजार पॉच सौ)" **के स्थान पर "रूपये 13,500/-(रू. तेरह हजार पॉच सौ)" प्रति हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जाता है।**

(2) पद (एक) के नोट 12 "बाढ़ की स्थिति में कृषि वाले खेतो में रेत/पत्थर आ जाने पर सफाई के लिए प्रति हेक्टर अधिकतम रूपये 8,100/-(रु.आठ हजार एक सौ)" की राशि देय होगी" के स्थान पर "लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए- 1. बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत/पत्थर (3 इंच से अधिक) आ जाने पर 2. पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलवे को हटाने के लिए 3. फिश फार्म में डिसेल्टिंग/पुनर्स्थापन/मरम्मत/सफाई के लिए प्रति हेक्टेयर **राशि रूपये 12,200/- (रूपये बारह हजार दो सौ)** प्रतिस्थापित किया जाता है। यह सहायता केवल ऐसे खातेदारों को देय होगी जिन्हें शासन की अन्य योजनाओं से कोई सहायता प्राप्त न हुई हो, प्रावधान किया जाता है।"

(3) पद (एक) के नोट 12-क में भूस्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु कृषक के भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर ऐसे प्रभावित कृषक को "रूपये 25,000/-(रु.पच्चीस हजार)" प्रति हेक्टेयर **के स्थान पर "रूपये 37,500/-(रूपये सैंतीस हजार पॉच सौ)"** प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि देय होगी, प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) पद (दो) (क) पशु/पक्षी, (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता के अंतर्गत पशुहानि के लिए मानदण्डों की अनुसूची के अनुक्रमांक 1 के कॉलम कमांक 2 में उल्लेखित दुधारू पशु (क) गाय/भैंस/ऊंट के लिए "रूपये 16,500/–(रु. सोलह हजार पांच सौ)" **के स्थान पर "रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार)"**, (ख) भेड़/बकरी के लिए "रूपये 1,650/–(रु.एक हजार छः सौ पचास)" **के स्थान पर "रूपये 3,000/– (रूपये तीन हजार)"** तथा अनुक्रमांक 2 के कॉलम 2 में उल्लेखित गैर दुधारू पशु (क) बैल/भैंसा/ऊंट/घोड़ा के लिए "रूपये 16,500/–(रु.सोलह हजार पांच सौ)" **के स्थान पर "रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार)"** (ख) बच्चा–गाय/भैंस/घोड़ा/ऊंट के लिए "रूपये 10,000/–(रु.दस हजार)" **के स्थान पर "रूपये 16,000/– (रूपये सोलह हजार)"**, (ग) गधा/खच्चर के लिए "रूपये 10,000/–(रु.दस हजार)" **के स्थान पर "रूपये 16,000/–(रूपये सोलह हजार)"** एवं अनुक्रमांक 3 के कॉलम कमांक 2 में उल्लेखित सुअर के लिए "रूपये 1,500/–(रु.एक हजार पांच सौ)" **के स्थान पर "रूपये 3,000/– (रूपये तीन हजार)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

(5) पद (दो–क) अस्थाई पशु शिविरों में रखे गये बड़े पशु के लिए "रूपये 50/–(रु.पचास)" **के स्थान पर "रूपये 70/–(रूपये सत्तर)"** प्रति पशु एवं छोटे पशु के लिए "रूपये 25/– (रु. पच्चीस)" **के स्थान पर "रूपये 35/–(रूपये पैंतीस)"** प्रति पशु प्रतिस्थापित किया जाता है।

(6) पद (दो–क) में अस्थाई पशु शिविर के प्रथम पैरा के पश्चात् – "विशेष परिस्थितियों में संभागायुक्तों के प्रस्ताव पर राज्य शासन की अनुमति से 15 दिवस से अधिक अवधि के अस्थाई कैम्प चलाये जा सकेंगे", को जोड़ा जाता है।

(7) पद (तीन) नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं –

1. कमांक–1 पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) पक्का मकान के लिए – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 70,000/–(रूपये सत्तर हजार)" **के स्थान पर "रूपये 95,100/– (पनचानबे हजार एक सौ)"** इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम "रूपये 75,000/–(रूपये पचहत्तर हजार)" **के स्थान पर "रूपये 1,01,900/–(एक लाख एक हजार नौ सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

2. क्रमांक–1 पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) कच्चा मकान के लिए – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार)" **के स्थान पर "रूपये 95,100/– (पनचानबे हजार एक सौ)" इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी. जिलों में अधिकतम "रूपये 1,01,900/–(एक लाख एक हजार नौ सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

3. क्रमांक–2 गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो) में पक्का मकान के लिए – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 12,600/–(रूपये बारह हजार छः सौ)" **के स्थान पर "रूपये 95,100/–(पनचानबे हजार एक सौ)" इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम "रूपये 1,01,900/–(एक लाख एक हजार नौ सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

4. क्रमांक–2 गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो) में कच्चा मकान के लिए – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 3,800/–(रूपये तीन हजार आठ सौ)" **के स्थान पर "रूपये 95,100/–(पनचानबे हजार एक सौ)" इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी. जिलों में अधिकतम "रूपये 1,01,900/–(एक लाख एक हजार नौ सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

5. क्रमांक–3 आंशिक क्षतिग्रस्त (जहॉ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो) में पक्का मकान के लिए – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 3,800/–(रूपये तीन हजार आठ सौ)" **के स्थान पर "रूपये 5,200/–(पॉच हजार दो सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

6. क्रमांक–3 आंशिक क्षतिग्रस्त (जहॉ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो) में कच्चा मकान के लिए – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 2,300/–(रूपये दो हजार तीन सौ)" **के स्थान पर "रूपये 3,200/–(तीन हजार दो सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

7. क्रमांक–4 पशुघर (मकान से संलग्न पशुघर) के लिये – वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम "रूपये 1,500/–(रूपये एक हजार पॉच सौ)" **के स्थान पर "रूपये 2,100/–(दो हजार एक सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

(8) पद (पॉच) के क्रमांक (1) में मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान के अंतर्गत नैसर्गिक आपदाओं से जनहानि के मामलों में

"रूपये 1,50,000/–(रु.एक लाख पचास हजार)" **के स्थान पर "रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख)" प्रति व्यक्ति, प्रतिस्थापित किया जाता है।**

(9) पद (छः) (1) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता के अंतर्गत – (क) नैसर्गिक आपदाओं से शारीरिक अंग हानि के लिए जहाँ 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो, के लिए "रूपये 43,500/–(रु. तेरालीस हजार पांच सौ)" **के स्थान पर 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता के लिए "रूपये 59,100/–(रूपये उनसठ हजार एक सौ)"** प्रति व्यक्ति एवं 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए "रूपये 62,500/–(बांसठ हजार पांच सौ) **के स्थान पर, 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर रूपये 2,00,000/–(रूपये दो लाख)"** प्रति व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है।

(10) पद (छः) (2) गम्भीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहे के अंतर्गत – नैसर्गिक आपदाओं से शारीरिक क्षति के मामलों में अस्पताल में भर्ती रहने पर "रूपये 9,300/–(रु.नौ हजार तीन सौ)" **के स्थान पर "रूपये 12,700/– (रूपये बारह हजार सात सौ)"** प्रति व्यक्ति तथा एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर "रूपये 3,100/–(रु.तीन हजार एक सौ)" **के स्थान पर "रूपये 4,300/– (रूपये चार हजार तीन सौ)" प्रति व्यक्ति, प्रतिस्थापित किया जाता है।**

(11) पद (नौ–क) (1) बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत – नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकरों/परम्परागत शिल्प के उपकरण/औजार क्षतिग्रस्त होने पर दी जाने वाली सहायता अधिकतम "रूपये 3,000/–(रु.तीन हजार)" **के स्थान पर "रूपये 4,100/–(रूपये चार हजार एक सौ)" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

(12) पद (नौ–क) (2) बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत – नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकरों के तैयार माल व कच्चा माल क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम "रूपये 3,000/–" **के स्थान पर "रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ)"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

(13) पद (ग्यारह) अस्थाई राहत कैम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था के अंतर्गत – अस्थाई कैम्पों को चलाने के लिए पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन "रूपये 40/–(रु.चालीस)" **के स्थान पर "रूपये 60/–(रूपये साठ)"** तथा अवयस्क के

लिए "रूपये 30/-(रु.तीस)" के स्थान पर "रूपये 45/-(रूपये पैंतालीस)" प्रति व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है।

पद (ग्यारह) के अंतिम पैरा – विशेष परिस्थितियों में संभागायुक्तों के प्रस्ताव पर राज्य शासन की अनुमति से 15 दिवस से अधिक अवधि के अस्थाई कैम्प चलाये जा सकेंगे में – "राज्य शासन" के स्थान पर "स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी" प्रति स्थापित किया जाता है।

(14) पद (बारह) बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत – क. 3 में जाल या अन्य उपकरण की मरम्मत के लिए रूपये 2,000/-(रु.दो हजार) के स्थान पर रूपये 2,100/- (रूपये दो हजार एक सौ) प्रतिस्थापित किया जाता है।

(15) पद (बारह) बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत क्रमांक 3 के पश्चात् – क. 4 नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिए रूपये 4,100/-(रूपये चार हजार एक सौ) जोड़ा जाता है।

(16) पद (बारह-क) प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायता के अंतर्गत क. 2 में नैसर्गिक आपदा से मछली पालने वालों के मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावितों को "रूपये 4,000/-(रु.चार हजार)" के स्थान पर "रूपये 8,200/-(रूपये आठ हजार दो सौ)" प्रति हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जाता है।

(17) परिशिष्ट- 1 के पद (एक) के नोट 8 के पश्चात् नवीन नोट – "(8-क) विद्युत स्पार्क से हुई फसल क्षति को भी प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के समान आर्थिक सहायता दी जावेगी।" – को जोड़ा जाता है।

(18) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के लिए वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे –

1	संभागायुक्त	पॉच लाख रूपये से अधिक
2	कलेक्टर	पॉच लाख रूपये तक
3	उपखण्ड अधिकारी	एक लाख रूपये तक
4	तहसीलदार	पचास हजार रूपये तक

(19) उपरोक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2015 से प्रभावशील होंगे।

(20) उपरोक्त संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक 4 का भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 6–6/2012/सात–3 भोपाल,दिनांक /07/2015

प्रतिलिपि :–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग।
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

सूचनार्थ :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ), भोपाल।

उप सचिव,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2016

क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.07.2012 एवं 31.05.2014 द्वारा निर्धारित की गई वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि/जन घायल एवं पशुहानि किये जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि दिनांक 07.02.2016 से निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है एवं पशु घायल हेतु क्षतिपूर्ति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र.	वन्यप्राणियो द्वारा की जाने वाली हानि	क्षतिपूर्ति राशि
1	जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को)	रूपये 4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय।
2	स्थायी अपंगता होने पर	रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/– तक रहेगी)
3	घायल होने पर	घायल व्यक्ति के इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/– तक होगी)
4	पशुहानि (वन्यप्राणी द्वारा)	राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार
5	पशु घायल	वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशु हानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

निरंतर 2

2. उपरोक्त व्यय मांग संख्या 10 शीर्ष 2406 योजना कमांक (3896) वन्यप्राणियो द्वारा जनहानि करते पर क्षूतिपूर्ति–54 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय मोहरीर)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2, भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2016
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त संभागायुक्त/समस्त कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
11. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त/क्षेत्र संचालक/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
12. समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/उप संचालक/सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
13. विशेष सहायक माननीय वनमंत्री/निज सहायक, माननीय वन राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
16. गार्ड फाईल।

अपर सचिव
म0प्र0 शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 384
दिनांक 7-5-16
(वन्य प्राणी), वन भवन, भोपाल

No. 3376
Dt. 06/5/16

Z:\Manish\letter.docx75